

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर तृतीय मेरठ क्रम 2021256006455

आवेदन संख्या : 202100734026173

6381

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2021-05-21 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम चिरेन्द्र कुमार

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिकल की धनराशि 350000 / 350000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 3500
2. प्रतिनिधिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुस्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 3560

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2021-05-21 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2021-05-21 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



6281



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DR 068500

ऊँ

विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य अंकन :- 3,50,000/- रुपये।
सर्किल रेट के अनुसार मूल्य अंकन :- 3,50,000/- रुपये।
स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन :- 21,000/- रुपये।
विवरण विक्रीत भूखण्ड:-

यह कि उक्त कालोनी का सर्किल रेट निर्धारित नहीं है परन्तु जिलाधिकारी द्वारा द्दर सूची प्रारूप संख्या 2 व 4 के अनुसार ग्राम घाट का सर्किल रेट अंकन 5,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है परन्तु अंकन 3,50,000/- रुपये पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूखण्ड आवासीय है और इसी प्रयोजन हेतू ही क्रय किया जा रहा है।

विक्रीत भूखण्ड में कोई निर्माण नहीं है जो अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है।

विक्रीत भूखण्ड मुख्य मार्ग से हटकर अन्दर की ओर स्थित है।

विक्रीत भूखण्ड के 50 मीटर की त्रिज्या में कोई व्यवसायिक गतिविधियां नहीं हैं।

विक्रीत भूखण्ड कार्नर व पार्क फेसिंग का नहीं है।

इस विक्रय पत्र पर उ० प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या सं०वि०क०नि० 5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30-6-2008 ई० के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का पूर्ण रूप से पालन किया गया है।

वि० ३३


Saniya



1820

अधिवक्ता का नाम: Dr. Kapur
 अधिवक्ता का पता: Alia Singh Road, P.O. Bhojpur, Meerut
 अधिवक्ता का संपर्क नंबर: 9497311111
 अधिवक्ता के पते का स्थान: Meerut
 अधिवक्ता का नाम: Dr. Kapur
 अधिवक्ता का पता: Alia Singh Road
 अधिवक्ता का संपर्क नंबर: 9497311111
 अधिवक्ता के पते का स्थान: Meerut
 अधिवक्ता का नाम: Dr. Kapur
 अधिवक्ता का पता: Alia Singh Road
 अधिवक्ता का संपर्क नंबर: 9497311111
 अधिवक्ता के पते का स्थान: Meerut





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DR 068501

[2]

हम कि श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ब्रहम सिंह निवासी ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ बहैसियत मुख्तारेआम ओर से श्री लिक्खी उपनाम लिखीराम पुत्र श्री फूल सिंह निवासी ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ व श्रीमती गज्जो उपनाम जग्गो पुत्री श्री फूल सिंह पत्नी श्री हरी सिंह निवासी किशनपुरा बागपत रोड मेरठ द्वारा मुख्तारनामा आम दिनांक 01-09-2020ई0 कि जिसकी रजि0 बही नं0 4 जिल्द 404 के पृष्ठ 95/108 पर क्रमांक 215 पर कार्यालय उप निबन्धक मेरठ तृतीय हुई कि जो आज तक कायम व बरकरार है कौन्सिल अथवा मन्सुख नही की गयी है पैन नं0 DXXPK6730C मो0 नं0 9458654460.....प्रथम पक्ष विकेता।।

एवम

श्रीमती सोनिया राना पत्नी श्री उमेश राना निवासी 208 भोपाल विहार शिव मन्दिर के पास मेरठ पैन नं0 BZVPR7769C मो0 नं0 9319784414.....द्वितीय पक्ष विकेता।।

विरेन्द्र

Soniya





1. **आवेदनकर्ता का नाम** : श्री. राजेश कुमार
 2. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 3. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 4. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 5. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 6. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 7. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 8. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 9. **आवेदनकर्ता का पता** : ...
 10. **आवेदनकर्ता का पता** : ...



10288090

...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DR 068502 DR 068502

[3]

जो कि प्लॉट नं० सी-25 क्षेत्रफल 70 वर्गगज यानि 58.52 वर्गमीटर स्थित बसंत कुंज राजस्व ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ कि जो प्रथम पक्ष विक्रेता के व्यवहारी के स्वामित्व का है उपरोक्त भूखण्ड आज की तारीख तक हर प्रकार के बोझ ऋण बन्धन एवं भार व हस्तान्तरण आदि से पूर्णतया मुक्त है और उक्त विक्रीत भूखण्ड किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में रहन अथवा बन्धक नहीं है। उक्त विक्रीत भूखण्ड का प्रथम पक्ष विक्रेता को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। जो वर्तमान मूल्य के अनुरूप है। अतः उपरोक्त भूखण्ड को प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपने समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं आधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी भी अधिकार के अपनी स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 3,50,000/- रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष में हस्ते श्रीमती सोनिया राना पत्नी श्री उमेश राना निवासी 208 भोपाल विहार शिव मन्दिर के पास मेरठ द्वितीय पक्ष क्रेता, को पूर्ण रूप से विक्रय कर दिया है और बेच डाला है और सम्पूर्ण विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष विक्रेता के व्यवहारी ने

रिसेट

Soniya





6
 कर्ता का नाम : कर्ता (कर्ता व)
 कर्तव्य का नाम : 24
 पता :
 पंजीयन का संख्या एवं पुराना :
 पुराने स्टाम्प सेवकों का संख्या :
 स्टाम्प विक्रेता का नाम : सर्वोप कर्ता
 स्टाम्प विक्रेता का पता : 100-100-100
 स्टाम्प विक्रेता का नाम : कर्ता
 स्टाम्प का विवरण : 29/1/100
 100 स्टाम्प विक्रेता



Faint horizontal text or header across the middle of the page.

Main body of faint, illegible text, possibly a letter or official communication.



3/1/100



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DR 066468 DR 066468

[4]

द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय से निम्न प्रकार प्राप्त करके, विक्रीत भूखण्ड को प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय के पूर्ण स्वामित्व अधिकार एवं अधिपत्य में दे दिया है। और द्वितीय पक्ष क्रेता को खाली भूखण्ड का पूर्ण रूप से कब्जा व दखल प्रदान कर दिया है। और द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय को प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी ही भांति पूर्ण स्वामी एवं विक्रय अधिकारी बना दिया है। अब आज के बाद प्रथम पक्ष विक्रेता या उनके किसी उत्तराधिकारी का कोई सम्बन्ध व वास्ता उक्त भूखण्ड से नहीं रहा है। और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ, यह विक्रय पत्र पूर्णतः सही व उचित व सर्वमान्य है और प्रयोग में आने योग्य है। द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय को अधिकार होगा कि वह अपना निर्माण कार्य नियमानुसार निर्मित कराये उसे अपने आवासीय प्रयोग में लाये तथा जिस प्रकार उचित जाने अपने प्रयोग में लाये। तथा क्रेता अपने निर्माण के दरवाजे, खिड़की व रोशनदान व पानी का निकास आदि सब रास्ते की ओर रख सकेंगे, किसी अन्य तरफ क्रेता को यह सुखाधिकार प्राप्त न होगा। द्वितीय पक्ष क्रेता अपना निर्माण करते समय

विश्वेश्वर

Soniya





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 147552

[5]

डेढ़ फिट से अधिक लम्बा रैम्प नहीं निकालेंगे और न ही सड़क की भूमि के ऊपर कोई छज्जा आदि निकालेंगे अर्थात् छज्जा अपनी भूमि में ही सीमित रखेंगे तथा द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त कालोनी में किसी प्रकार का कोई पशुपालन आदि नहीं करेंगे और न ही कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कालोनी में किसी प्रकार की कोई गन्दगी अथवा अवरोध पैदा हो तथा द्वितीय पक्ष उक्त प्लॉट में बिजली व पानी कनेक्शन लेने के अधिकारी रहेंगे तथा प्रथम पक्ष ने एक इकरारनामा फर्म के नाम कर रखा है इसलिये फर्म को विक्रय मूल्य आदि प्राप्त करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं अगर आज से पंहुले उपरोक्त विक्रीत भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी विभाग का कोई अन्य देय बकाया होगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की रहेगी। आज के बाद समस्त देय आदि को चुकता करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय की रहेगी विक्रीत प्लॉट खसरा नम्बर ग्यारह सौ छप्पन बटा एक मि० में स्थित है अगर अब या भविष्य में प्रथम पक्ष विक्रेता या उनके किसी उत्तराधिकारी के वाद-विवाद वश उक्त भूखण्ड अथवा उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय के अधिकार व कब्जे से निकल जाये या कोई

19/5/21

Soniya



29

पुष्टि विनेख 58,59

श्री पवन कुमार त्यागी

ओमदत्त त्यागी

जागृति विहार मेरठ

अन्य

29/4/21

29/4/21



पहचानकर्ता : 2

श्री पवन कुमार त्यागी, पुत्र श्री ओमदत्त त्यागी
 निवासी: जागृति विहार मेरठ
 व्यवसाय: अन्य
Pawan



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

LP
 लोकेश कुमार प्रभारी
 उप निबंधक : सदर तृतीय
 मेरठ

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
 टिप्पणी :

निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 147553

[6]

भार या ऋण पाया जाये तो ऐसी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त क्रय मूल्य व रजिस्ट्री खर्चा, व निर्माण लागत, व हर्जा व खर्चा व वाद व्यय, व मय कानूनी ब्याज सहित प्रथम पक्ष विक्रेता से या उनके उत्तराधिकारी से व उनकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी चाहे द्वितीय पक्ष क्रेता महोदय वैधानिक कार्यवाही करके वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता या उनके किसी उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति व ऐतराज न होगा। इस विक्रय विलेख का आलेख विक्रेता/क्रेता द्वारा दी गयी जानकारी व प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है यदि अब अथवा भविष्य में कोई किसी प्रकार की त्रुटि अथवा वैधानिक बाधा होगी तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विक्रेता/क्रेता का होगा। फोटो का सत्यापन मात्र विक्रेता/क्रेता के प्रत्यक्ष रूप में देखने के आधार पर किया गया है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया ताकि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।। इति।।

19/3/21

Soniya

38
 29/4/21
 22/11/21

आवेदन सं०: 202100734026173

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6381

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री लिक्खी आदि के द्वारा विरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री ब्रहम सिंह

निवासी: ग्राम घाट जिला मेरठ

व्यवसाय: व्यापारी

क्रेता: 1



श्रीमती सोनिया राना, पत्नी श्री उमेश राना

निवासी: भोपाल विहार शिव मन्दिर के पास मेरठ

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

Soniya

श्रीमती मधु रानी, पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह

निवासी: सरस्वती मन्दिर सूरज कुंड रोड मेरठ

व्यवसाय: अन्य मधु 21/11/21



[7]

माप व सीमाएं उपरोक्त

पूरब :- 5.48 मीटर तत्पश्चात रास्ता 7.50 मीटर चौडा
पश्चिम :- 5.48 मीटर तत्पश्चात प्लाट नं० सी-42
उत्तर :- 10.67 मीटर तत्पश्चात प्लाट नं० सी-24
दक्षिण :- 10.67 मीटर तत्पश्चात प्लाट नं० सी-26

विवरण प्राप्ति समस्त विकय मूल्य

1. अंकन 2,00,000/- रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से द्वारा बैंक सख्या 000026 दिनांक 05-06-2021ई० आर.बी.एल. बैंक शाखा विकास मार्ग दिल्ली प्राप्त किये।
 2. अंकन 1,50,000/- रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से द्वारा बैंक सख्या 000027 दिनांक 20-06-2021ई० आर.बी.एल. बैंक शाखा विकास मार्ग दिल्ली प्राप्त किये।
- कुल योग अंकन 3,50,000/- रूपये

मिस्टर



Soniya



मधु रानी W/O
सुरेश चंदापूर
150 रामेश्वर कुर्छ
मेरठ



श्री
Pawan Tyagi
Mr. Anand Tyagi
2611, Jagrat, V. V. Nagar
Meerut

तारीख :- 20-05-2021ई० मसविदा श्री आर० के० गुप्ता एडवोकेट मेरठ।



आवेदन सं०: 202100734026173

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15012 के पृष्ठ
263 से 276 तक क्रमांक 6381 पर दिनांक
21/05/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


लोकेश कुमार प्रभारी

उप निबंधक : सदर तृतीय

मेरठ

21/05/2021

